

राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील जारी हुए

श्री कुश कुमार सिंह

05.01.2026

इन्द्रा बनाम रामाजी वगैरह (2025/283)

पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांत उपस्थित। अभिभाषक अपीलांत को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांत द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र स्थगन तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांत/ प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज कर अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किय जाकर आगामी पेशी दिनांक 04.07.2025 नियत की गई थी। जिसके विरुद्ध अपीलांत द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है जिसका अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है।

अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारन को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

द्वारालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर

अजमेर/आर0टी0एक्ट/अपील सं.-- 283 /2025



इंद्रा पुत्री रागा जी कुर्डिया , उम्र 48वर्ष, जाति रेगर, निवासी - गांव रामतपुरा ,
पोस्ट-- भगवानपुरा, तहसील पुष्कर व जिला अजमेर

वादीया/अपीलान्त

बनाम

1. रामा जी कुर्डिया पुत्र धुला जी, उम्र 75वर्ष,
2. मनोहरी पत्नि कचरु कुर्डिया
3. पवन पुत्र कचरु कुर्डिया
4. लक्ष्मी पुत्री कचरु कुर्डिया
5. तारा पत्नि सम्पत कुर्डिया
6. दीपक पुत्र सम्पत कुर्डिय
7. मनिष पुत्र सम्पत कुर्डिया
8. पिकी पुत्री रामा जी
9. पुनाराम जी कुर्डिया पुत्र रामा जी
10. महेन्द्र पुत्र काना
11. अमरचन्द पुत्र भंवरलाल
12. उगमाराम पुत्र जीवण
13. ओमप्रकाश पुत्र खेमा
14. कचरु पुत्र खेमा
15. बवलु पुत्र कैलाश
16. सुमनु पुत्री कैलाश
17. प्रिया पुत्री कैलाश
18. लिला देवी पत्नि कैलाश
19. पृथ्वीराज पुत्र कैलाश
20. कालू पुत्र रामसुख
21. अनिल पुत्र कालूराम
22. सुनिल पुत्र कालूराम

747
श्रीकृष्ण कुमार सिंह <10/15
ने अपील वेगवे. बांद्रा जं. व
शिवार ठेकू के. वी.
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर
13/6/25

2023/283
13.6.25

23. दिनेश पुत्र कालूराम
24. मोनिका पुत्री कालूराम
25. रेखा पुत्री कालूराम
26. नाथुराम पुत्र रामपाल
27. नोरतमल पुत्र जीवण
28. नाबालिग पूजा पुत्री पप्पूराम सरक्षंक माता मंजू
29. पूना पुत्र रामसुख
30. पूनाराम पुत्र रामसुख
31. पारस पुत्र सुण्डा
32. बुध्दा पुत्र नारायण
33. भंवरी पत्नि जीवण
34. भागचन्द पुत्र रुपा
35. मंगला पुत्र रुपा
36. मंजू पत्नि पप्पूराम
37. मदन पुत्र रामसुख
38. गोपी पुत्र चुना
39. खेताराम पुत्र छीतर
40. ग्यारसी पत्नि छीतर
41. सुखदेव पुत्र चुना
42. नारायण पुत्र हेमा
43. नाथुराम पुत्र रामपाल
44. मिश्री पुत्र नारायण
45. नाबालिग लक्ष्मी पुत्री पप्पूराम सरक्षंक माता मंजू
46. वीली पत्नि रामपाल
47. शंकर पुत्र सुण्डा
48. नाबालिग सेटू पुत्र पप्पूराम सरक्षंक माता मंजू
49. नाबालिग सुमन पुत्री पप्पूराम सरक्षंक माता मंजू
50. सम्पति पुत्री जीवण, सर्वनिवासीगण- गांव-किशनपुरा, तहसील पुष्कर
व जिला अजमेर
51. बैंक ऑफ बडोदा जरिये शाखा प्रबंधक गनाहरा अजमेर



52. यूकों बैंक जरिये शाखा प्रबंधक पुष्कर अजमेर
53. आई सी आई सी आई जरिये शाखा प्रबंधक पुष्कर अजमेर
54. एच डी एफ सी जरिये शाखा प्रबंधक पुष्कर अजमेर
55. एच डी एफ सी जरिये शाखा प्रबंधक सेदरीया अजमेर
56. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध आदेश
विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर दिनांक 2.6.2025 जो प्रकरण ५५/2025 उनवान
इंद्रा बनाम रामा व अन्य में पारित किया गया

महोदय,

माननीय न्यायालय से वादीया/अपीलान्ट के संक्षिप्त तथ्य सहित निम्न निवेदन करती है कि -

1. यह कि वादीया/अपीलान्ट ने एक राजस्व वाद व प्रार्थना पत्र विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष में प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 53,88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि मौजा गांव किशनपुरा तहसील पुष्कर में वादीया/अपीलान्ट कि पैतृक खातेदारी की आराजी राजस्व ग्राम किशनपुरा, तहसील पुष्कर अजमेर मे स्थित है जिसके खाता संख्या नया व पुराना क्रमशः - 136, 239, 240, 241, 242, 287, 288 है जिसके खसरा नम्बर क्रमशः 1280, 1215, 1216, 1220/2107, 1221, 1222, 1223, 1224, 1227, 1228, 1229, 1248, 1249, 1254, 1255, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1266, 1219, 1220, 1218, 1265, 1267, 1269, 1252, 1253, 1268 है जिसका रकबा (हैक्टेयर में) क्रमशः 0.0200, 2.0500, 1.0200, 0.4900, 0.0100, 0.2000 व 0.5700 (जिसे आगे चल कर वादग्रस्त भूमि संबोधित किया जायेगा) हैं।
2. यह कि उपरोक्त वर्णित आराजी वादीया/अपीलान्ट के दादा धुला पुत्र आइदान के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। वादीया/अपीलान्ट के दादा धुला पुत्र आइदान का देहान्त लगभग 62-65 वर्ष पूर्व को हो चुका है जिसके पश्चात विरासत नामान्तरण खुला जिसमें प्रार्थीया के पिता रेस्पोडेंट्स सं. 1